फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व नोहर   जिला हनुमानगढ

अनुपसिंह   बनाम   **महावीर**

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट.   नम्बर 167   सन–2022

तरीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.07.2022	वकील सायल ने यह प्रार्थना –पत्र सायल की ओर से पेश किया प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर वकील सायल को स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया प्रस्तुत रिकार्ड का अवलोकन किया गया प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन , अपूर्णीय क्षति का बिन्दु सायल के पक्ष में प्रतीत होता है अतः प्रस्तुत दस्तावेज एवं शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए गैरसायलान /अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि रोही मौजा जबरासर के खाता संख्या 121/116 की कुल 16.1120हैक्टेयर भूमि गैरसायल संख्या 1 के नाम दर्ज में से प्रार्थी के हक हिस्सा की भूमि की रिकार्ड की यथास्थिति आगामी तारीख पेशी तक बनाई रखी जावे अस्थायी निषेधाज्ञा बढाने का निर्णय सुनने के उपरान्त लिया जावेगा एवं यह स्थगन आदेश भूमि पैमाईश व खाला एवं रास्ता की भूमि पर लागू नही होगा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावें अप्रार्थीगण के रजिस्टर सम्मन जारी किये जाकर पत्रावली दिनांक 27.09.2022 को पेश हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर	
27/9/22	पत्रावली पेश हुई श्रीमान् पी.ओ. साहब अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली दि0 12/12/22 को पेश हो।	
12/12/22	वकील पक्षकार उपस्थित। [illegible] की तामील हेतु र.जि. समन पेश नहीं किए हैं। आगामी पेशी पर आवश्यक तौर से पेश करें। पत्रावली [illegible] दिनांक 24/2/2023 को [illegible]	
24/2/23	पत्रावली पेश हुई श्रीमान् पी.ओ. साहब बार हित कार्य स्थगित है। पत्रावली दि0 28/4/23 को पेश हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 18:01:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

पत्रावली पेश हुई श्रीमान् पी.ओ. साहब
...अन्य कार्यों से व्यस्त
पत्रावली दि० ...11/5/23... को पेश हो

11/5/23 पत्रावली आज गांवों के संग अभियान
वर्ष ... [illegible] ...जवि/सार...
में पेश हुई ...राजीनामा...पेश नहीं
उभयपक्ष...उपस्थित नहीं
पत्रावली दिनांक 24/7/23 को पेश हो।

29/6/2023 पत्रावली प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर पेशी में ली गई। प्रार्थी स्वयं उपस्थित जिसकी पहचान श्री मदन जोशी Adv. ने की। प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि अनुमानी प्रार्थना पत्र में पक्षकारान का राजीनामा हो चुका है। आज की तारीख पेशी में लिया जाकर प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को न्याय हित में स्वीकार किया जाता है तथा अनुमानी प्रार्थना पत्र इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील शामिल दफ्तर हो।

अनुपस्थित
[illegible]

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 18:01:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner